आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस एवं पेन कार्ड समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम पूरणमल पुत्र लसरीराम दर्ज है। जिससे वादी के कथन की पुष्टि होती है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वादी की जन्मतिथि 01.01.1991 है, जिसके अनुसार वादी बालिग हो चुका है। तहसीलदार, बजीरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वादी का सही नाम पूरणमल ही है एवं वह बालिग हो चुका है। पटवारी हल्का, जीवली, सरपंच, ग्राम पंचायत जीवली द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका अनुसार भी वादी का सही नाम पूरणमल ही है एवं वह बालिग हो चुका है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम पूरणमल ही है तथा वादी बालिग हो चुका है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर जमाबंदी खाता संख्या 91 ग्राम डोब में दर्ज पूरनचन्द उम्र 8 वर्ष नाबालिग संरक्षक पिता खुद लसरीराम जाति मीना के स्थान पर पूरणमल पुत्र लसरीराम,जाति मीना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। तहसीलदार बजीरपुर को पालना हेतु तहरीर जारी करें।

पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)

सदस्य
लोक अदालत
वजीरपुर

सदस्य
लोक अदालत
वजीरपुर

अध्यक्ष
लोक अदालत
वजीरपुर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस एवं पेन कार्ड समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम पूरणमल पुत्र लसरीराम दर्ज है। जिससे वादी के कथन की पुष्टि होती है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वादी की जन्मतिथि 01.01.1991 है, जिसके अनुसार वादी बालिग हो चुका है। तहसीलदार, बजीरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वादी का सही नाम पूरणमल ही है एवं वह बालिग हो चुका है। पटवारी हल्का, जीवली, सरपंच, ग्राम पंचायत जीवली द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका अनुसार भी वादी का सही नाम पूरणमल ही है एवं वह बालिग हो चुका है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम पूरणमल ही है तथा वादी बालिग हो चुका है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर जमाबंदी खाता संख्या 91 ग्राम डोब में दर्ज पूरनचन्द उम्र 8 वर्ष नाबालिग संरक्षक पिता खुद लसरीराम जाति मीना के स्थान पर पूरणमल पुत्र लसरीराम,जाति मीना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। तहसीलदार बजीरपुर को पालना हेतु तहरीर जारी करें।

पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)

सदस्य लोक अदालत वजीरपुर	सदस्य लोक अदालत वजीरपुर	अध्यक्ष लोक अदालत वजीरपुर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner